

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2381/2010/जयपुर
2. अपील संख्या 2382/2010/जयपुर
3. अपील संख्या 2383/2010/जयपुर

मैसर्स किसान मोल्डिंग्स लि.,
ओ-21, तृतीय मंजिल, अम्बर टॉवर, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम
वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवचन, जोन प्रथम, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित:

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक
श्री एन.के.बैद, उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. उपर्युक्त तीनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 25.11.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

अपील सं.	अ.अ. की अपील सं.	कर निर्धा. आ. दि.	कर निर्धा.वर्ष	कर	ब्याज
2381/10	281/आरवेट/2010-11	23.06.10	08-09	1,54,563	32,458
2382/10	280/आरवेट/2010-11	23.06.10	07-08	1,18,203	36,643
2383/10	282/आरवेट/2010-11	09.07.10	09-10	2,19,102	26,292

2. तीनों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवचन, जोन-प्रथम, जयपुर द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार के पाईप्स, सोलवेंट सीमेंट एवं लुब्रिककेंट की राज्य में स्टॉक ट्रॉसफर के माध्यम से प्राप्ति की जाकर राजस्थान राज्य में विक्रय किया जाता है। जांच में पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा "सोलवेंट सीमेंट" पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व घोषित किया गया है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार उक्त माल 12.5/14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है। प्रस्तुत विवरणों के आधार पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा साल्वेंट सीमेंट का आलौच्य अवधि में विक्रय 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल किया गया है। उक्त बिक्रित वस्तु साल्वेंट सीमेंट शिडयूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिडयूल V की दर प्रभावी होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने आलौच्य अवधियों में सोलवेंट सीमेंट के विक्रय पर धारा 26 के अधीन 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर, धारा 61 के तहत शास्ति एवं धारा 55 के तहत ब्याज आरोपित किये गये। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनका निस्तारण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपीलों को आंशिक स्वीकार करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया एवं कर व ब्याज को यथावत रखा, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

23

✓

लगातार.....2

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत सोल्वेन्ट सीमेंट कोई सीमेंट गम अधेसिव नहीं है। वास्तव में यह पी.वी.सी. रेजिन का ही एक तरल रूप है तथा फिटिंग्स का ही एक रूप है। बिक्रीत सोल्वेन्ट सीमेंट (PVC RESIN) केवल पाईप फीटिंग के रूप में ही आता है। इसके बाद यह पाईप में ही बदल जाता है अर्थात् (MELT) हो जाता है जबकि अधेसिव आदि का अस्तित्व रहता है, वे केवल जोड़ने के काम आते हैं। अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को उचित बतलाया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया।

7. सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि प्रकरण में सोल्वेन्ट सीमेंट पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर देय है या 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर देय है। प्रथम तो इस प्रकरण में स्वयं अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी, सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन प्रथम, जयपुर की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 14 पर उपलब्ध अपीलार्थी के जवाब में तीनों कर निर्धारण वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 हेतु यह सहमति प्रदान की हुई है कि वे 8.50 प्रतिशत की दर से अन्तर कर देने हेतु सहमति देते हैं। इस प्रकार कर के बिन्दु पर चूंकि सहमति दी हुई है, अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी को विधिक चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। द्वितीय फिर भी यदि प्रकरण में गुणावगुण पर विचार किया जाये तो इस पीठ की विनम्र राय के अनुसार पी वी सी सालेन्ट सीमेंट जब तक पी वी सी के भिन्न पाइप के बीच से लगाया जाकर जोड़े नहीं जाते तब तक वह पी वी सी पाइप का स्थायी भाग नहीं बनता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिक्री कर वस्तुओं पर कर उनके उपयोग के आधार पर नहीं है। पी वी सी सालेन्ट सीमेंट का अन्य उपयोग पाइप के जोड़ने के अतिरिक्त सम्भव है। इसका उपयोग प्लास्टिक से बनाये हुए अन्य वस्तुओं से जो कि टूट जाती है को जोड़ने में भी किया जा सकता है। अतः इसे केवल मात्र पी वी सी पाइप जोड़ने के उपयोग के आधार पर पाइप फिटिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तु 'सॉल्वेन्ट सीमेंट' वैट एक्ट में प्रदत्त शिडयूल की क्रम संख्या I to IV में कहीं भी उल्लेखित नहीं है अर्थात् इस पर शिडयूल V के अनुसार सामान्य कर दर प्रभावी होती है। राजस्थान विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी कर दर की अधिसूचनाओं में वस्तुओं के विवरण के अतिरिक्त शेष रही वस्तुओं के लिए सामान्य कर दर 10 प्रतिशत से करारोपण का प्रावधान किया हुआ है। चूंकि पी वी सी सालेन्ट का उपयोग प्लास्टिक के वस्तुओं को जोड़ने में किये जाने के कारण इसे सामान्य कर दर से करारोपण किया जाना उचित है। इस संबंध में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 4271-4274/2005 निर्णय दिनांक 26.07.2007 से भी उपरोक्त धारणा की पुष्टि होती है।

sm

W


लगातार.....3


8. अब ब्याज के बिन्दु पर विचार किया जाता है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने वा.क.अ. बनाम रस्तोगी स्टील फर्नीचर (2003) Tax Update Vol. 6 Part 8 Page 317) के मामले में विधिक स्थिति पर विस्तृत विचार कर निर्णित किया है कि कर निर्धारण आदेश में गणना किये गये कर पर ब्याज की देयता कर देयता की तिथि से ही प्रभावी होगी, जिसका संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है-

"As none of the cases cited at bar deals with like provision as are in consideration, they are of little assistance except the decision in J.K. Synthtics (Supra) as discussed above which throws sufficient light on the chages that have been brought about by substitution of s. 11-B with effect from 07-04-1979 vis a vis provisin which was in force during the period for which dispute was before the Court. It clearly pointed out the shift in the basis of levy of interest from failure to pay tax due as per assessee under s.7(2) and (2-A) to non-payment of tax due as per assessment. It gave effect to principle of ex hypothesi determination of tax on occurrence of taxing event."

9. उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 4271 से 4274/2005/जयपुर सीटीओ बनाम रिलायंस इण्डस्ट्रीज निर्णय दिनांक 26.07.2007 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है। अतः उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं।

10. फलतः माननीय कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलों को कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
सदस्य


28.7.2017
(मदन लाल)
सदस्य